पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2015 ई0 (आश्विन 04, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–39

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	633–663	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	977–978	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

समाज कल्याण अनुभाग–04

अधिसूचना

20 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 1552/XVII–4/2015–01(46)/2015–गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 323/14/1/9/XXI/2013, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 के अनुपालन में श्री हरपाल साथी, भूतपूर्व सांसद को उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2003) की धारा 4 के उपखण्ड (1) एवं धारा 5 के उपखण्ड (1) में निहित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु अध्यक्ष के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

2. श्री हरपाल साथी, भूतपूर्व सांसद के कर्तव्य, दायित्व, अधिकार "उत्तरांचल अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 11 के उपखण्ड (1) एवं धारा 12" में निहित प्राविधानानुसार रहेंगे।

3. श्री हरपाल साथी को देय सुविधाएं गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग के सम्बन्धित शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार सुनिश्चित होगा।

अधिसूचना

20 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 1553/XVII–4/2015–01(46)/2015–गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 324/14/1/9/XXI/2013, दिनांक 22 अप्रैल, 2015 के अनुपालन में श्री राजेन्द्र बाराकोटी, निवासी जिला अल्मोड़ा को उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2003) एवं उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2004) की धारा 4 के उपखण्ड (1) एवं धारा 5 के उपखण्ड (1) में निहित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु उपाध्यक्ष के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

2. श्री राजेन्द्र बाराकोटी, निवासी जिला अल्मोड़ा के कर्तव्य, दायित्व, अधिकार "उत्तरांचल अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 11 के उपखण्ड (1) एवं धारा 12" में निहित प्राविधानानुसार रहेंगे।

3. श्री राजेन्द्र बाराकोटी, निवासी जिला अल्मोड़ा को देय सुविधाएं गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग के सम्बन्धित शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार सुनिश्चित होगा।

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

26 अगस्त, 2015 ई0

संख्या VIP–89/XIII-II/19(1)/2011/टी0सी0 III–उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 17 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, अधिसूचना संख्या 866/XIII(2)/2013–19(01)/2011, दिनांक 29 अगस्त, 2013 द्वारा गठित कृषि उत्पादन मण्डी समिति, खटीमा (ऊधमसिंह नगर) का कार्यकाल जनहित में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 06 माह बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड
(अधिष्ठान अनुभाग)
विज्ञप्ति / नियुक्ति

31 जुलाई, 2015 ई0

856 / वि0स0 / 502 / अधि0 / 2014—इस सचिवालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1125 / वि0स0 / 03 / अधि0 / 2000, दिनांक 09 नवम्बर, 2004 द्वारा वेतनमान ₹ 8,000—275—13,500 पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, में सृजित शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी के 01 (एक) स्थायी एवं रिक्त पद पर श्री प्रमोद कुमार पाण्डे, शोध एवं सन्दर्भ सहायक को, आदेश की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा के आदेशानुसार एतद्द्वारा तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया जाता है।

विज्ञप्ति / नियुक्ति

31 जुलाई, 2015 ई0

857 / वि0स0 / 502 / अधि0 / 2014—इस सचिवालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 236 / वि0स0 / 03 / अधि0 / 2000, दिनांक 28 फरवरी, 2001 द्वारा वेतनमान ₹ 8,000—275—13,500 पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, में सृजित तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 350 / वि0स0 / 454 / अधि0 / 2012, दिनांक 18 मार्च, 2013 द्वारा वेतनमान ₹ 15,600—39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 एवं पदनाम अनुसचिव (लेखा) संशोधित / उच्चीकृत 01 (एक) स्थायी एवं रिक्त पद पर श्री लक्ष्मी चन्द्र, अनुभाग अधिकारी (लेखा) को, आदेश की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा के आदेशानुसार एतद्द्वारा तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया जाता है।

जगदीश चन्द्र,
सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग—2
कार्यालय ज्ञाप

11 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 1161 / XXXii / 15—2 (छः)(76) / 2013—राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन वाहन चालक के पद पर तैनात श्री सन्तलाल के दिनांक रहित प्रार्थना—पत्र के क्रम में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—II (भाग 2 से 4) के भाग—3, अध्याय—34, में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री सन्तलाल का नाम परिवर्तित करते हुए एतद्द्वारा 'सन्तलाल' के स्थान पर 'सन्तलाल पाटिल' किया जाता है।

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

संख्या : 83 / XXVII(7) 27(20)—2013—15

प्रेषक,

डॉ0 एम0 सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड,
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7 देरहादून : दिनांक 24 अगस्त, 2015

विषय—रानीखेत (शहरी क्षेत्र), जनपद अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड में कार्यरत कर्मचारियों को "बी—2" श्रेणी का मकान किराया भत्ता दिये जाने विषयक।

महोदय,

वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या

38/XXVii(7)म0कि0/2009, दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं शासनादेश संख्या 61/XXVii म0कि0/2009, दिनांक 16 फरवरी, 2009 एव समय–समय पर यथासंशोधित शासनादेशों में इंगित तालिकाओं के अनुसार राज्य में अवस्थित नगरों/नगरीय क्षेत्रों को "बी–2", "सी" एवं "अवर्गीकृत" श्रेणी में विभाजित करते हुए वहाँ कार्यरत ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को, जो अधिष्ठान आय–व्ययक से लागू नवीन वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं, को संशोधित मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में रानीखेत (शहरी क्षेत्र), जनपद अल्मोड़ा में तैनात राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को "बी–2" श्रेणी का मकान किराया भत्ता दिनांक 01 सितम्बर, 2015 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त वर्णित शासनादेशों में निहित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझी जाय। शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 एम0 सी0 जोशी,
सचिव।

वित्त अनुभाग–6

विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 195/XXVII(6)–(एक)–940–2014/2015–उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में कार्यरत निम्न अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–2, ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 में पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री भाष्करानन्द पाण्डेय,
2. डॉ0 पंकज शुक्ल,
3. श्री दिनेश कुमार,
4. सुश्री पूजा नेगी,
5. सुश्री नीतू भण्डारी,
6. श्रीमती शशि सिंह,
7. श्री आनन्द सिंह,
8. श्री वीरेन्द्र रावत।

उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब पदोन्नत वेतनमान में कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

28 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 202/XXVII(6)–(एक)–940–2014/2015–उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत ज्येष्ठ वेतनमान, श्रेणी–2, ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 6,600 में कार्यरत निम्न अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–1, ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 7,600 में पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

मौ0 गुलफाम अहमद

उक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब पदोन्नत वेतनमान में कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

एम0 सी0 जोशी,
सचिव।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2

अधिसूचना

03 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या 734/XXVIII(1)/10 (पैरामेडिकल)/2015–उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2009 की धारा 3 के अधीन, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या 682/XXVIII(1)/2013–02/(पैरामेडिकल)/2009–T.C.–1, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद् का गठन करते हुए परिषद् में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सदस्य के रूप में श्रीमती मायावती ढकरियाल, उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन को नामित किया गया है।

2. श्रीमती मायावती ढकरियाल, उप सचिव की पदोन्नति व स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड परा–चिकित्सा परिषद् में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सदस्य के रूप में उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सदस्य नामित किया जाता है।

3. अधिसूचना संख्या 682/XXVIII(1)/2013–02/(पैरामेडिकल)/2009–T.C.–1, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आर0 के0 सुधांशु,
सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–3

अधिसूचना

09 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या 1457/IV(3)/2015–6(13)/2015–चुनाव याचिका संख्या–76/2013, श्री हरफूल चन्द पुत्र स्व0 कबूल चन्द बनाम श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल व अन्य में मा0 न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश विकास नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2015 के द्वारा नगरपालिका परिषद्, विकासनगर के अध्यक्ष पद के सम्बन्ध में दिनांक 28.04.2013 को हुए चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। उक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 44–क सपठित धारा 56 के प्राविधानों के क्रम में नगरपालिका परिषद्, विकासनगर में अध्यक्ष के पद को एतद्द्वारा रिक्त घोषित किया जाता है।

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव।

निदेशालय पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिसूचना

26 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 893/3–पं0/ग्रा0पं0/52/2015–16–उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 3 एवं धारा 11–च के परिवर्तित उपबन्धों तथा तत्सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस–1–94–149/94, दिनांक 09 मई, 1994 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, हरबंस सिंह चुघ,

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड विकास खण्ड, बहादराबाद, जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व प्रकाशित अधिसूचना संख्या 626/3–पं0/ग्रा0पं0ग0नो0/52/2015–16, दिनांक 07 जुलाई, 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ–7 में उल्लिखित ग्राम सभा, जिसमें सारणी के स्तम्भ–6 में उल्लिखित ग्राम में समाविष्ट क्षेत्र को सारणी के स्तम्भ–8 में विनिर्दिष्ट नाम से पंचायत क्षेत्र घोषित करता हूँ। यह घोषणा जिलाधिकारी, हरिद्वार के प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर जारी की जा रही है।

क्षेत्र पंचायत का नाम–बहादराबाद				जनपद का नाम–हरिद्वार			
वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
गजट क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र	गजट क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	पंचायत क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
6	1. आदर्श टिहरी नगर	आदर्श टिहरी नगर	आदर्श टिहरी नगर	6	1. आदर्श टिहरी नगर	आदर्श टिहरी नगर	आदर्श टिहरी नगर
	2. टिहरी डोभ नगर (नवगठित राजस्व ग्राम)			72	1. टिहरी डोभ नगर	टिहरी डोभ नगर	टिहरी डोभ नगर

हरबंस सिंह चुघ,
निदेशक।

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर

कार्यभार प्रमाण–पत्र

28 अगस्त, 2015 ई0

पत्रांक 421/को0अधि0बागे0/2015–16–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–6 के आदेश संख्या 195/XXVII(6)–एक–940–2014/2015 देहरादून, दिनांक 28 अगस्त, 2015 के क्रम में ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी–2, ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600, पर आज दिनांक 28–08–2015 के पूर्वाह्न में पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

भाष्करानन्द पाण्डेय,
वरिष्ठ कोषाधिकारी,
बागेश्वर।

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0(अस्पष्ट)
जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

राजस्व अनुभाग–1

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या 1379/XVIII(1)/2015–4/2007–श्री राज्यपाल महोदय, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

नियमावली के नियम–4 (1)(2),2(ग),5,5(क)(ख), 10(ख),13, 18,20,21 (2),22,25, 29(2)(3) (4)(6) (क)(ख), 30,33,36 (1)(3)।

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) सेवा नियमावली, 2013 के नियम–4(1)(2),2(ग),5,5(क)(ख),10(ख),13,18,20,21(2),22,25, 29(2)(3)(4)(6)(क)(ख),30,33 एवं 36(1)(3) में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

	स्तम्भ–1 वर्तमान में विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नियम
सेवा का संवर्ग	4. (1) सेवा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का संवर्ग ***मण्डलीय संवर्ग*** होगा। सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।	सेवा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का संवर्ग **जनपदीय संवर्ग** होगा। सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

	(2) सेवा में पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, *जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है :*	सेवा में पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, **जितनी समय–समय पर अवधारित की जायेगी।**
	(ग) नियमावली लागू होने की तिथि को, पूर्व से सेवारत सेवा के सदस्यों की संख्या *परिशिष्ट 'क' में दी गई पदों की संख्या से अधिक होने की दशा में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को मण्डल के किसी जिले में राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र से भिन्न लेखपाल हल्के में,* वेतन परिलब्धियों में कोई कटौती किये बगैर, तैनाती दी जा सकेगी :	**जनपद के नियमित पुलिस क्षेत्र घोषित किये जाने के फलस्वरूप राजस्व पुलिस व्यवस्था से बाहर किये गये राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को पूर्व से पुलिस कार्यों हेतु अनुमन्य कोई भी सुविधा यथा विशेष वेतन, पौष्टिक आहार, वाहन भत्ता तथा प्रतिकर भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।**
भर्ती का स्रोत	5. सेवा में राजस्व उप निरीक्षक पदों में भर्ती नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम 29 के अनुसार, सफलता पूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की, तैयार की गई सूची में से वरिष्ठता क्रम से की जायेगी। विहित प्रशिक्षण हेतु चयन निम्नलिखित स्रोतों से किया जायेगाः–	सेवा में राजस्व उप निरीक्षक पदों में भर्ती नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, **उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य परीक्षा परिषद या समिति, जैसा भी निर्धारित किया जाय, के द्वारा** नियम 29 के अनुसार, सफलता पूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की, तैयार की गई सूची में से वरिष्ठता क्रम से की जायेगी। विहित प्रशिक्षण हेतु चयन निम्नलिखित स्रोतों से किया जायेगाः–
	(क) संवर्ग के *75 प्रतिशत* पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन सीधी भर्ती के माध्यम से ;	(क) संवर्ग के **50 प्रतिशत** पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन सीधी भर्ती के माध्यम से ;

		(ख) संवर्ग के ***25 प्रतिशत*** पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले राजस्व सेवकों से ;	(ख) संवर्ग के **50 प्रतिशत** पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले राजस्व सेवकों से ;
		परन्तु यह कि पात्र राजस्व सेवक उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों के सापेक्ष खण्ड (क) के अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण हेतु चयन किया जा सकेगा।	परन्तु यह कि पात्र राजस्व सेवक उपलब्ध न होने की दशा में **चयन वर्ष के 30 सितम्बर तक** की रिक्तियों के सापेक्ष खण्ड (क) के अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण हेतु चयन किया जा सकेगा।
अधिमानी अर्हता	10.	(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया हों,	(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' **अथवा 'सी'** प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया हो,
शारीरिक मानक	13.	पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी0 व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी0 अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन ***45 किलोग्राम से 58 किलोग्राम के मध्य होना चाहिए।***	पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेमी0 व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी0 अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 5 सेमी0 का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन **न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए।**
न्यूनतम सेवा	18.	राजस्व सेवक के पद पर ***न्यूनतम दस वर्ष की सेवा*** तथा अपने पद पर स्थायी राजस्व सेवक ही प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अर्ह होंगे।	राजस्व सेवक के पद पर **न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा** तथा अपने पद पर स्थायी राजस्व सेवक ही प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अर्ह होंगे।

रिक्तियों की अवधारणा	20. संस्थान में नियम 5 के खण्ड (क) के अनुसार विहित प्रशिक्षण के लिए सीधी भर्ती के चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अवधारित करेगा ***और मण्डल के आयुक्त को सूचित करेगा। आयुक्त मण्डल*** कुल रिक्तियों में से नियम 6 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।	संस्थान में नियम 5 के खण्ड (क) के अनुसार विहित प्रशिक्षण के लिए सीधी भर्ती के चयन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अवधारित करेगा तथा कुल रिक्तियों में से नियम 6 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। **नियुक्ति प्राधिकारी निर्देशानुसार रिक्तियों की संख्या से राजस्व परिषद एवं राज्य सरकार को चयन हेतु संसूचित करेगा।**
प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए परीक्षा	21. (2) प्रशिक्षण हेतु परीक्षा पाठ्यकम व प्रकिया का निर्धारण समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी ***कार्यपालक अनुदेश*** के अनुसार किया जायेगा।	प्रशिक्षण हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम **चयन का माध्यम** व भर्ती की प्रकिया का निर्धारण समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी **निर्देशों** के अनुसार किया जायेगा।
प्राथमिकता का जिला	22. ***आवेदक से आवेदन–पत्र में प्राथमिकता का एक जिला मांगा जायेगा।***	**एक ही जिले के लिए आवेदक से आवेदन मांगा जायेगा।**
	अभ्यर्थियों को उसी जिले में परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियमावली के नियम 29 के उपनियम (6) के अनुसार नियुक्ति के समय ***उक्त प्राथमिकता के जनपद में तैनाती पर आयुक्त विचार करेगा।***	अभ्यर्थियों को उसी जिले में **रिक्ति के सापेक्ष** परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियमावली के नियम 29 के उपनियम (6) के अनुसार नियुक्ति के समय **तैनाती उसी जनपद में की जायेगी।**

रिक्तियों की अवधारणा	25. *मण्डल का आयुक्त* तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार राजस्व सेवकों से वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक *कलेक्टरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर* अवधारित करेगा।	**नियुक्ति प्राधिकारी** तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार राजस्व सेवकों से वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अवधारित करेगा।
प्रशिक्षण के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया	29. (2) *आयुक्त,* निम्नलिखित भर्ती के प्रपत्र में भर्ती के प्रयोजनों के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में एक सूची रखेगा, जिन्होंने संस्थान से सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।	**नियुक्ति प्राधिकारी** निम्नलिखित भर्ती के प्रपत्र में भर्ती के प्रयोजनों के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में एक सूची रखेगा, जिन्होंने संस्थान से सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

क्रम–संख्या	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	*अभ्यर्थी द्वारा आवेदित प्राथमिकता का जिला*	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	संस्थान से परीक्षा/अनुपूरक परीक्षा पास करने का दिनांक	*परीक्षा में प्राप्त कुल अंक*
1	2	3	4	5	6	7

क्रम–संख्या	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	**अभ्यर्थी द्वारा आवेदित जनपद का नाम**	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	संस्थान से परीक्षा/अनुपूरक परीक्षा पास करने का दिनांक	**परीक्षा में प्राप्त कुल अंक (प्रतिशत/प्राप्तांक)**
1	2	3	4	5	6	7

	(3) संस्थान का कार्यकारी निदेशक प्रति वर्ष, परीक्षाफल प्रकाशन होने पर *मण्डलवार* परीक्षाफल तैयार कर विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची संबंधित *मण्डलायुक्त* को उपलब्ध करायेगा।	संस्थान का कार्यकारी निदेशक प्रति वर्ष, परीक्षाफल प्रकाशन होने पर **जनपदवार** परीक्षाफल तैयार कर विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची संबंधित **जिलाधिकारी** को उपलब्ध करायेगा।
	(4) *मण्डल का आयुक्त* सूची में नाम उस प्रवीणता के क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में परीक्षा या अनुपूरक परीक्षा (अनुपूरक से तात्पर्य मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियमों के अधीन दिये गये विशेष	**जिलाधिकारी द्वारा** सूची में नाम उस प्रवीणता के क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में परीक्षा या अनुपूरक परीक्षा (अनुपूरक से तात्पर्य मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियमों के अधीन दिये गये

अवसर से है) उत्तीर्ण की गई हो। एक ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के बीच ज्येष्ठता का निर्णय, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार (मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनुपूरक परीक्षा में सम्बन्धित विषय में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए) पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बराबर होने की दशा में अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया की प्रवीणता सूची के आधार पर, राजस्व सेवकों से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उनकी मौलिक पद पर ज्येष्ठता के आधार पर तथा सीधी भर्ती तथा राजस्व सेवक से चयनित अभ्यर्थी के अंक समान होने की दशा में राजस्व सेवक को वरीयता प्रदान करते हुए ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।	विशेष अवसर सें है) उत्तीर्ण की गई हो। एक ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के बीच ज्येष्ठता का निर्णय, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार (मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनुपूरक परीक्षा में सम्बन्धित विषय में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए) पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बराबर होने की दशा में अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया की प्रवीणता सूची के आधार पर, राजस्व सेवकों से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उनकी मौलिक पद पर ज्येष्ठता के आधार पर तथा सीधी भर्ती तथा राजस्व सेवक से चयनित अभ्यर्थी के अंक समान होने की दशा में राजस्व सेवक को वरीयता प्रदान करते हुए ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।
(6) सेवा में मौलिक रिक्तियों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम ***मण्डलायुक्त की*** सूची में हों। ***आयुक्त जिलों की रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के नामों की सूची कलेक्टर को राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के निर्देश के साथ प्रेषित करेगा, सूची में संबंधित***	सेवा में मौलिक रिक्तियों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में हों।** कलेक्टर सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेंगे और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस

अभ्यर्थी द्वारा नियम 30 में उल्लिखित जिलों में से जिस जिले में पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है उसका भी उल्लेख किया जायेगा। कलेक्टर *प्राप्त* सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेंगे और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए नियम 30 के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करेंगे।

आयुक्त, नियुक्ति हेतु किसी कलेक्टर को प्रेषित किये जाने वाले सूची में, उन अभ्यर्थियों के नाम विवेकानुसार शामिल कर सकेगा जिनके द्वारा सम्बन्धित जिले का नाम अपने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के जिले के रूप में किया गया है :

परन्तु यह कि *आयुक्त* सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम हटा सकता है:—

(क) जो अभ्यर्थी, जो स्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हों; और

(ख) जो अन्य अभ्यर्थी, जो आयुक्त की राय में ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रूप में नियुक्त किये जाने के अधीक्षक से समन्वय स्थापित करते हुए नियम 30 के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करेंगे।

कलेक्टर द्वारा अभ्यर्थी के प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त तैनाती सुनिश्चित की जायेगी अभ्यर्थी द्वारा तैनाती के स्थल पर कार्य भार ग्रहण न करने की स्थिति में नियुक्ति पत्र निर्गत करने की तिथि से तीन माह पश्चात नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

परन्तु यह कि **कलेक्टर** सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम हटा सकता है:—

(क) जो अभ्यर्थी, जो स्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हों; और

(ख) जो अन्य अभ्यर्थी, जो कलेक्टर की राय में ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त न समझे गये हों।

लिये उपयुक्त न समझे गये हों। सूची में से अपना नाम हटाये जाने के विरूद्ध अभ्यर्थी को राजस्व परिषद के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा ;

टिप्पणी– यदि किसी रिक्त स्थान पर नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर कोई अभ्यर्थी सेवा में आने से इंकार करे, तो उसकी ज्येष्ठता समाप्त मानी जायेगी।

प्रशिक्षण

30. प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्त किये जाने पर ***आयुक्त*** द्वारा परिवीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों के मैदानी थानों में तीन माह की अवधि के लिए तैनात किया जायेगा। इस तैनाती के दौरान राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद की प्रास्थिति नियमित पुलिस उप निरीक्षक की होगी तथा इस दौरान संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को पुलिस कार्यों के व्यावहारिक ज्ञान की गहन जानकारी उपलब्ध करायेगा और कम से कम दो गैर जमानती अपराधों की पूर्ण विवेचना राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी) से कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के अन्त में जिले का पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लिये जाने का प्रमाण–पत्र राजस्व उप निरीक्षक से संबंधित प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्त किये जाने पर **कलेक्टर** द्वारा परिवीक्षा अवधि के प्रथम वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून जिलों के मैदानी थानों में तीन माह की अवधि के लिए तैनात किया जायेगा। इस तैनाती के दौरान राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद की प्रास्थिति नियमित पुलिस उप निरीक्षक की होगी तथा इस दौरान संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को पुलिस कार्यों के व्यावहारिक ज्ञान की गहन जानकारी उपलब्ध करायेगा और कम से कम दो गैर जमानती अपराधों की पूर्ण विवेचना राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) से कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के अन्त में जिले का पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण सन्तोषजनक

	जिले के जिलाधिकारी को निर्धारित प्ररूप में उपलब्ध करायेगा।	रूप से पूर्ण कर लिये जाने का प्रमाण–पत्र राजस्व उप निरीक्षक जिलाधिकारी को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायेगा।
ज्येष्ठता	33. सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 29 के उपनियम (6) के अधीन ***आयुक्त*** द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के आधार पर किया जायेगा:	सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 29 के उपनियम (6) के अधीन **कलेक्टर** द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के आधार पर किया जायेगा:
	परन्तु यह कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी ***आयुक्त*** के निर्देश एक ही दिनांक के हों, तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 29 के उपनियम (4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।	परन्तु यह कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी **नियुक्ति प्राधिकारी** के निर्देश एक ही दिनांक के हों, तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 29 के उपनियम (4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।
	टिप्पणी– सभी स्थायी राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी) की एक पद–क्रम सूची (Gradation List) ***मण्डल*** में रखी जायेगी। सूची ज्येष्ठता के क्रम में तैयार की जायेगी।	**टिप्पणी**– सभी स्थायी राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी) की एक पद–क्रम सूची (Gradation List) **जनपद** में रखी जायेगी। सूची ज्येष्ठता के क्रम में तैयार की जायेगी।

स्थानान्तरण 36 (1)	*आयुक्त, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का एक जिले में निरन्तर सात वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वमति से, अन्यथा की स्थिति में कलेक्टर की संस्तुति से मण्डल के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण कर सकेंगे। नियमावली प्रख्यापित होने की तिथि अथवा इसके बाद नियुक्त राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) को मण्डल के अन्तर्गत कम से कम तीन जिलों (जहां राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है) में सात–सात वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। मण्डल के जिलों में* कलेक्टर, स्वमति से, जिले के भीतर एक तहसील/परगना से दूसरी तहसील/परगना और असिस्टैन्ट कलेक्टर तहसील /परगने के भीतर एक राजस्व उप्र निरीक्षक क्षेत्र से दूसरे राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में स्थानान्तरण कर सकता है।	कलेक्टर, स्वमति से, जिले के भीतर एक तहसील/परगना से दूसरी तहसील/परगना और असिस्टैन्ट कलेक्टर तहसील/परगने के भीतर एक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र से दूसरे राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में स्थानान्तरण कर सकता है।
(3)	यदि कोई भूखण्ड, अभिलेख क्रियाओं या बन्दोबस्त क्रियाओं के अधीन हो तो सहायक कलेक्टर, कलेक्टर *या आयुक्त* राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का स्थानान्तरण, यथास्थिति, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना नहीं करेंगे :	यदि कोई भूखण्ड, अभिलेख क्रियाओं या बन्दोबस्त क्रियाओं के अधीन हो तो सहायक कलेक्टर **अथवा** कलेक्टर राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का स्थानान्तरण, यथास्थिति, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना नहीं करेंगे :

परन्तु यह कि राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में निरन्तर तीन वर्ष से अधिक व परगना/तहसील में निरन्तर पांच वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रह सकेगा।

अधिसूचना
विज्ञप्ति
23 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या 1380/XVIII(1)/2015–03(3)/2014–'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड में राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल), सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) सेवा नियमावली–2015
भाग 1–सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–** (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) सेवा नियमावली, 2015 कहलायेगी।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **सेवा की प्रास्थिति–** उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) सेवा अराजपत्रित, अधीनस्थ कार्यकारी सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

3. **परिभाषा–** 'जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में –

   (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से असिस्टैन्ट कलेक्टर अभिप्रेत है ;

   (ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ''भारत का संविधान'' के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता हो।

   (ग) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है ;

   (घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है ;

   (ङ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

   (च) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है

(छ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड राज्य में राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) की सेवा अभिप्रेत है;

(ज) 'ग्राम' से राजस्व ग्राम अभिप्रेत है;

(झ) 'राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र' से पर्वतीय जनपदों में भू राजस्व अधिनियम की धारा–21 में उल्लिखित ऐसा लेखपाल 'हल्का' से भिन्न लेखपाल 'हल्का' अभिप्रेत है, जिसमें सम्मिलित समस्त ग्राम एवं नगर क्षेत्र नियमित पुलिस के कार्य क्षेत्र में नहीं आता हो।

स्पष्टीकरण– ऐसे समस्त लेखपाल हल्के' जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राजस्व पुलिस प्रणाली से आच्छादित हैं, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र की परिभाषा में सम्मिलित होंगे ;

(ञ) 'राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल)' से राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में राजस्व सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु तैनात राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है जो कि उत्तराखण्ड राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा का सदस्य हो।

(ट) 'जनपद' से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपद अभिप्रेत हैं,

(ठ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;

(ड) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;

(ढ) ''राजस्व परिषद'' से राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून अभिप्रेत है;

(ण) ''विभागाध्यक्ष'' से अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून अभिप्रेत है ;

(त) 'आयुक्त' से उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ व गढ़वाल मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है ;

(थ) 'कलेक्टर' से जनपद का कलेक्टर अभिप्रेत है ;

(द) 'असिस्टैन्ट कलेक्टर' से तहसील/परगने का भारसाधक उपखण्ड अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ध) 'अनुसेवक/चेनमैन' से ऐसा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभिप्रेत है, जो मौलिक रूप से भूलेख अधिष्ठान (मैदानी) के समूह 'घ' के कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुआ हो;

(न) "कार्यकारी निदेशक" से राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा का कार्यकारी निदेशक अभिप्रेत है ;

(प) "संस्थान" से राजस्व पुलिस एवं भूलेख, सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा अभिप्रेत है ;

(फ) "प्रशिक्षु" से संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ब) "प्रशिक्षण वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है ;

भाग 2–संवर्ग

4. **सेवा संवर्ग–** (1) राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) सेवा का संवर्ग जनपदीय होगा और सेवा में पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में पदों की संख्या, जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट–1 में दी गयी है ;

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

(ग) जनपद में किसी समय राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्रों में रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर, जब तक कि रिक्तियों को नियमित चयन द्वारा भर नहीं दिया जाता, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में जनपद के अन्य लेखपाल हल्कों से लेखपालों का स्थानान्तरण किया जा सकेगा अथवा किसी अन्य क्षेत्र में तैनात राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) को राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र का अतिरिक्त कार्यभार, पुलिस कार्य से भिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु दिया जा सकेगा।

भाग 3–भर्ती

5. भर्ती का स्रोत– (1) सेवा के पदों में भर्ती नियम–6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम–27 के अनुसार, सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की, तैयार की गई सूची में से वरिष्ठता क्रम से की जायेगी। विहित प्रशिक्षण हेतु चयन निम्नलिखित स्रोतों से किया जायेगाः–

(क) संवर्ग के 75 प्रतिशत पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों से ;

(ख) संवर्ग के 25 प्रतिशत पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन निर्धारित पात्रता पूर्ण करने वाले अनुसेवक/चेनमैन से ;

परन्तु पात्र अनुसेवक/चेनमैन उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों के सापेक्ष उपनियम (क) के अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण हेतु चयन किया जा सकेगा।

(2) संवर्ग के पद रिक्त होने की दशा में राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) के पद पर नियुक्ति हेतु, राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) का विहित प्रशिक्षण प्राप्त पात्र अभ्यर्थियों की सूची में से वरिष्ठता क्रम में, यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति दी जाती है तो, नियुक्त किया जा सकेगा

परन्तु एक बार राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) के पद पर नियुक्त कर दिये जाने के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थी का राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के पद पर नियुक्ति हेतु तैयार पात्रता सूची से नाम हटा दिया जायेगा।

6. आरक्षण– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4 अर्हताएं

7. राष्ट्रीयता– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो। या

(ख) "तिब्बती शरणार्थी", जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन

किया हो परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर ही सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है ओर उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए

8. **शैक्षिक अर्हता**– नियम–5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है।

9. **सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण**– नियम–5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा।

10. **अधिमानी अर्हता**– नियम–5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन होने पर अन्य बातों के समान होते हुए भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के द्वारा विहित प्रशिक्षण के लिए चयन में अधिमान दिया जायेगा, जिसने

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया हो,

11. **आयु**– नियम–5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु, विज्ञप्ति प्रकाशित होने के वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष से कम

एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

12. **शारीरिक दक्षता–** पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 05 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा।

13. **चरित्र–** सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगें। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्त के पात्र नहीं होंगे।

14. **वैवाहिक प्रास्थिति–** पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगी।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

15. **शारीरिक योग्यता–** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसके अपने राजकीय कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में व्यवधान की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा;

अनुसेवक/चेनमैन से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए

16. **शैक्षिक अर्हता–** संस्थान में नियम–5 के उपनियम (ख) के अनुसार प्रशिक्षण हेतु अनुसेवक/चेनमैन के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा एवं परीक्षा

परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता अनिवार्य होगी। और

17. **न्यूनतम सेवा–** अनुसेवक/चेनमैन, जिनके द्वारा अनुसेवक/चेनमैन के पद पर दस वर्ष तक का कार्य किया जा चुका हो और अपने पद पर स्थायी हो। और

18. **आयु** संस्थान में नियम–5 के उपनियम (ख) के अनुसार प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए आयु, संवर्ग में अनुसेवक/चेनमैन के लिए आरक्षित पद की रिक्ति के वर्ष की प्रथम जुलाई, को प्रशिक्षण हेतु चयनित अनुसेवक/चेनमैन की उम्र 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भाग–5 भर्ती की प्रकिया

(सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए प्रकिया)

19. **रिक्तियों की अवधारणा–** संस्थान में नियम–5 के उपनियम (क) के अनुसार विहित प्रशिक्षण के लिए, सीधी भर्ती के द्वारा, चयन हेतु जनपद में तैनात सहायक भूलेख अधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली और आगामी दो वर्षों में सम्भावित रिक्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अवधारित कर कलेक्टर के समक्ष चयन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर जनपद की कुल रिक्तियों में से नियम–6 के अनुसार उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

20. **प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए परीक्षा–** नियम 19 के अनुसार अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम व प्रकिया का निर्धारण समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेश से किया जायेगा।

21. **चयन उपरान्त प्रशिक्षण–** प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान से, स्वयं के व्यय पर, विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित एक वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

22. **प्रशिक्षण के दौरान मानदेय–** संस्थान में 01 वर्ष के प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षु को ₹ 9 000.00 प्रतिमाह अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित दर से मानदेय अनुमन्य होगा। प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत मानदेय अनुमन्य नहीं होगा।

(अनुसेवक/चेनमैन से प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रकिया)

23. **रिक्तियों की अवधारणा–** जनपद में तैनात सहायक भूलेख अधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, अनुसेवक/चेनमैन से चयन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने तक रिक्त हो चुकी और भर्ती के वर्ष के समाप्ति तक सम्भावित रिक्तियों की संख्या आंकलित कर, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु पत्रावली कलेक्टर के समक्ष 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करेगा।

24. **प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रकिया–** अनुसेवक/चेनमैन के लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा। चयन में तत्समय प्रभावी आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

25. **चयन उपरान्त प्रशिक्षण–** प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर एक वर्षीय प्रशिक्षण, तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

26. **प्रशिक्षण के दौरान वेतन–** प्रशिक्षण काल में ऐसे अभ्यर्थियों को वही वेतन दिया जायेगा, जो वे प्रशिक्षण में जाने से पूर्व अनुसेवक/चेनमैन के पद पर पा रहे थे।

नियुक्ति हेतु प्रकिया

27. **प्रशिक्षण के उपरांत नियुक्ति की प्रकिया–** (1) मात्र प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना सेवा में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। संस्थान से सफलता पूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी ही, अन्यथा उपयुक्त होने पर, राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(2) कलेक्टर निम्नलिखित प्रपत्र में, भर्ती के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में एक सूची रखेगा जिन्होंने संस्थान से सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

सूची का प्रारूप

राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) प्रशिक्षण हेतु चयन का स्रोत----------सीधी भर्ती /प्रोन्नति

क्रम–संख्या	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	संस्थान से परीक्षा/अनुपूरक परीक्षा पास करने का दिनांक	परीक्षा में प्राप्त कुल अंक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

(3) संस्थान का कार्यकारी निदेशक प्रति वर्ष, परीक्षाफल घोषित होने पर, जनपदवार परीक्षाफल तैयार कर विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त सीधी भर्ती से चयनित तथा अनुसेवक/चेनमैन से चयनित अभ्यर्थियों की पृथक–पृथक सूची संबंधित कलेक्टर व मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेगा।

(4) जनपद का कलेक्टर प्रत्येक सूची में नाम उस प्रवीणता के क्रम में रखेगा जिस क्रम में परीक्षा या अनुपूरक परीक्षा (अनुपूरक से तात्पर्य मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियमों के अधीन दिये गये विशेष अवसर से है) उत्तीर्ण की गई हो। एक ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के बीच प्रवीणता का निर्णय, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार (मूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण, अनुपूरक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अनुपूरक परीक्षा में सम्बन्धित विषय में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए) पर किया जायेगा। दो या दो से अधिक सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बराबर होने की दशा में अभ्यर्थियों की प्रवीणता प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया की प्रवीणता सूची के आधार पर, अनुसेवक/चेनमैन से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उनकी मौलिक पद पर ज्येष्ठता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(5) सूची प्रति वर्ष परीक्षाफल प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र पुनरीक्षित की जायेगी।

(6) सेवा में मौलिक रिक्तियों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी, जिस क्रम में अभ्यर्थियों के नाम कलेक्टर की सूची में हों। कलेक्टर तहसीलों की रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के

नामों की सूची नियुक्ति अधिकारी को राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल)पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के निर्देश के साथ प्रेषित करेगा, जिसकी प्रति मण्डल के आयुक्त को भी प्रेषित की जायेगी। नियुक्ति अधिकारी प्राप्त सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेंगे

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर सूची में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम हटा सकता है:–

(क) अभ्यर्थी, जो स्थायी रूप से नियुक्त हो चुके हों, और

(ख) अन्य अभ्यर्थी, जो कलेक्टर की राय में ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल)के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त न समझे गये हों। सूची में से अपना नाम हटाये जाने के विरूद्ध अभ्यर्थी को राजस्व परिषद के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा ;

टिप्पणी– यदि किसी रिक्त स्थान पर नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर कोई अभ्यर्थी सेवा में आने से इंकार करे, तो उसकी ज्येष्ठता समाप्त मानी जायेगी।

भाग 6–परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

28. परिवीक्षा– (1) सेवा या किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति सेवा में योगदान की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा, जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

29. **स्थायीकरण**– परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

30. **ज्येष्ठता**– सेवा में ज्येष्ठता का अवधारण मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–27(6) के तहत कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश की दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के आधार पर किया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि एक ही स्रोत से चयनित दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बन्धी कलेक्टर के निर्देश एक ही दिनांक के हों तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियम 27(4) के अनुसार तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर निर्धारित होगी।

टिप्पणी– सभी स्थायी राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल)की एक पद–क्रम सूची (Gradation List) जनपद व मण्डल में रखी जायेगी। सूची ज्येष्ठता के क्रम में तैयार की जायेगी।

भाग 7–वेतन आदि

31. **वेतनमान**– सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिये अनुमन्य वेतन–क्रम ₹ 5200–20200+ ग्रेड–पे ₹ 2800 प्रतिमाह होगा।

32. परिवीक्षा के दौरान वेतन– (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं हो तो, एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

भाग 8– अन्य प्राविधान

33. स्थानान्तरण– (1) विशेष परिस्थितियों में आयुक्त, कलेक्टर की संस्तुति से मण्डल के भीतर एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण कर सकेंगे, स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्मिक की ज्येष्ठता सम्बन्धित जनपद में नियम–30 के अनुसार पुनः निर्धारित की जायेगी। कलेक्टर, स्वमति से, जनपद के भीतर एक तहसील/परगना से दूसरी तहसील/परगना और असिस्टैन्ट कलेक्टर परगने के भीतर, नियम 4(ग) के उपबन्धों से बाधित रहते हुए, एक लेखपाल क्षेत्र/राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र से दूसरे लेखपाल क्षेत्र/राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में स्थानान्तरण कर सकता है।

किसी भी दशा में राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) को अपने स्थाई आवास की गृह तहसील में तैनात नहीं किया जा सकेगा।

(2) यदि कोई भूखण्ड, अभिलेख क्रियाओं या बन्दोबस्त क्रियाओं के अधीन हो तो सहायक कलेक्टर, कलेक्टर या आयुक्त राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) का स्थानान्तरण, यथास्थिति, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के परामर्श के बिना नहीं करेंगे।

(3) राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) एक लेखपाल क्षेत्र/राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में निरन्तर अधिकतम तीन वर्ष से अधिक व परगना/तहसील में निरन्तर अधिकतम पॉच वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रह सकेगा। किसी परगना या तहसील, जिसमें कि उसकी पूर्व में एक ही पद पर कुल पॉच वर्ष या उससे अधिक समय तक तैनाती रह चुकी हो, से स्थानान्तरित कर दिये जाने पर अगले पॉच वर्षों तक पुनः उस परगना/तहसील में उसी पद पर तैनाती नहीं की जा सकेगी।

(4) राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) की एक लेखपाल क्षेत्र/राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में तैनाती के दौरान की पदावधि न्यूनतम 2 वर्ष की होगी परन्तु निम्नलिखित कारणों से उसकी दो वर्ष की पदावधि समाप्ति से पूर्व सकारण लिखित आदेश के द्वारा सक्षम प्राधिकारी स्थानान्तरण कर सकेगा:—

(क) उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर या प्रतिनियुक्ति पर जाने पर, या

(ख) शारीरिक और मानसिक रोग या अन्यथा अक्षमता से अपने कृत्यों और कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ होने पर।

(ग) अनुशासनहीनता, लापरवाही, दुराचरण या अकुशलता की प्रथम दृष्टिया प्रारम्भिक जांच में पुष्टि होने पर प्रशासनिक आधार पर।

(घ) राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) की तैनाती हो जाने पर

34. सर्वेक्षण उपकरण— सेवा के प्रत्येक सदस्य को सरकारी व्यय पर निम्नलिखित सर्वेक्षण उपकरण दिये जायेंगे :—

(क) गुनिया;

(ख) कंघी;

(ग) परकार;

(घ) आयताकार पैमाना;

35 अभिलेखों का प्रभार जब कोई राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल) त्याग—पत्र प्रस्तुत करे अथवा उसके स्थानान्तरण का आदेश दिया जाये तब वह अपने पद को छोड़ने के पूर्व अपने राजस्व उप निरीक्षक, (लेखपाल)क्षेत्र से संबंधित समस्त अभिलेख राजस्व निरीक्षक को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे सौंपने के संबंध में राजस्व निरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी निर्देशित करे, सौंप देगा।

36 पक्ष समर्थन — किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे विहित प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

37. अन्य विषयों का विनियमन— ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति के राजकीय कार्यकलाप सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

38. सेवा शर्तो का शिथिलीकरण— यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझें।

39. व्यावृत्ति— इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिडड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियें के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–1

राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के पदों की जनपदवार संख्या

नियम– 4 (1) व 4 (2),

A. कुमाऊँ मण्डल में लेखपाल के जनपदवार सृजित पदों का विवरण–

जनपद का नाम	पदों की संख्या
(क) अल्मोड़ा	–
(ख) बागेश्वर	–
(ग) चम्पावत	03
(घ) नैनीताल	50
(ड0) पिथौरागढ़	–
(च) ऊधमसिंहनगर	142
योग	195

B. गढ़वाल मण्डल में लेखपाल के जनपदवार सृजित पदों का विवरण–

जनपद का नाम	पदों की संख्या
(क) देहरादून	73
(ख) चमोली	–
(ग) पौड़ी गढ़वाल	04
(घ) टिहरी	–
(ड0)उत्तरकाशी	–
(च) रूद्रप्रयाग	–
(छ) हरिद्वार	156
योग	233
कुल योग	428

आज्ञा से,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 हिन्दी गजट/500–भाग–1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2015 ई0 (आश्विन 04, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

September 01, 2015

No. 227/UHC/Admin.A/2015--Following Section Officers are promoted to the post of Assistant Registrar in the pay scale of pay in pay band ₹ 15,600-39,100 with grade pay ₹ 6,600, in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital with effect from the date of their taking over charge :

1. Sri G.C. Pant,
2. Sri B.C. Tamta,
3. Sri Abdul Hameed.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

D.P. GAIROLA,

Registrar General.

NOTIFICATION

September 01, 2015

No. 228/UHC/XIV-a/41/Admin.A/2013--Sri Manoj Garbyal, Additional District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 10.08.2015 to 24.08.2015.

NOTIFICATION

September 07, 2015

No. 232/UHC/XIV-10/Admin.A/2008--Ms. Parul Gairola, Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 29 days *w.e.f.* 31.07.2015 to 28.08.2015 with permission to suffix 29.08.2015 & 30.08.2015 as Rakshabandhan & Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

September 10, 2015

No. 233/UHC/XIV-a/51/Admin.A/2012--Ms. Anita Kumari, 1st Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 17.08.2015 to 28.08.2015 with permission to prefix 15.08.2015 as Independence day, 16.08.2015 as Sunday and to suffix 29.08.2015 as Rakshabandhan & 30.08.2015 as Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

September 11, 2015

No. 234/UHC/XIV-a/36/Admin.A/2013--Sri Imran Mohd. Khan, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 10 days *w.e.f.* 18.08.2015 to 27.08.2015.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 39 हिन्दी गजट/500–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।